2.8/0032/

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदय जी

निवेदन है कि ग्राम कोहिया की जमाबंदी संवत 2075 के खाता संख्या 188 में ~~प्रार्थी का नाम~~ / की जाति ~~नाम~~ सैरा दर्ज है | जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड में ~~प्रार्थी का नाम~~ / की जाति सैरखा दर्ज है | अत: उक्त खाते में ~~प्रार्थी का नाम~~ / की जाति ~~नाम~~ के बजाय सैरखा दर्ज किया जाना उचित होगा |

अशोक मीणा
पटवारी, प. भ. कोठिया
तह. फुलियांकलां (भीलवाड़ा)

राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार–2018"

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पश्चात जाँच IJR संशोधन स्वीकार योग्य है

तहसीलदार
फूलियाकलां, जिला–भीलवाड़ा

प्र.सं. 342/18

राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार–2018"

कस्बा – कोहिया दिनांक 7/6/18

आदेश

हल्का रिपोर्ट तहसीलदार फुलियाकला के ग्राम कोहिया की जमाबन्दी संवत 2075 के खाता सं० 188 में दर्ज "धमाट" की बजाय "सैरखा" दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकला को भेजा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
फुलियाँ कलां